

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
9वाँ तल, सी - विंग दिल्ली सचिवालय,  
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ. 53(12) / अता प्र.सं. 76 / तृतीय सत्र (बजट सत्र-2022) / दिविस / श.वि. / 2043-45 दिनांक: 24.03.2022

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),  
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,  
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय:- दिल्ली सातवीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) अतारांकित प्र. स. 76 .....माननीय विधायक  
श्री. श्री. 57 ..... , दिनांक 28.003.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों, माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,  


उप-सचिव ( संसदीय शाखा )

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वां तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।



उप-सचिव ( संसदीय शाखा )

4/C

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार  
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री संजीव झा

दिनांक : 28.03.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 76

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किन-किन स्थानों पर कॉम्पेक्टर मशीन लगाई गई है;	उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित है:- बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में वार्ड संख्या 8 - संत नगर बंगाली कालोनी वार्ड संख्या 10 - जनता विहार वार्ड संख्या 11 - प्रयास वार्ड संख्या 11 - आई.टी.आई. बुराड़ी में कॉम्पेक्टर मशीने लगाई है।
ख	क्या यह सत्य है कि कॉम्पेक्टर मशीन लगाए जाने के पश्चात् उक्त स्थान के नजदीक कोई अन्य दूसरा ढलाव नहीं बनाया जा सकता है; और	उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर कचरे की मात्रा अधिक है तो क्षेत्र में जमीन की उपलब्धता अनुसार दूसरी कॉम्पेक्टर मशीन लगाई जा सकती है। ढलाव पर सिर्फ स्वीपिंग वेस्ट/सिल्ट लेने का प्रावधान हो सकता है।
ग	यदि हाँ, तो कॉम्पेक्टर मशीन लगाए जाने के पश्चात् कितनी दूरी पर दूसरा ढलाव बनाया जा सकता है?	उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्तानुसार ऐसा कोई मापदंड नहीं है।

  
By, Secretary (M.O./P.C.)  
Cont. of N.C.T. of Delhi  
Delhi Secretariat  
I.P. Estate, New Delhi-110002